

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन  
जिला चित्तौडगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 88 / 2012

दायर दिनांक 01.06.2012

फातमा	उनवान	गोपीलाल
	बनाम	

प्रा0 प0 अन्तर्गत धारा 251 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांक: 11.02.2020

—:निर्णय:—

पतरावली पेश हुई जिसमें वकिल वादी प्रस्तुत होकर प्रकरण में नोट प्रैस अंकित कर कार्यवाही नहीं चाहता है प्रकरण ड्राप किया जाता है अत -पतरावली फैसल होकर नम्बर से कम है



(विनोद कुमार)  
उपखण्ड अधिकारी  
कपासन

